संख्या 4/1/87-पे•क•एकक-11
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन तथा पेंशन कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर सेवानिवृत्ति उपदान तथा मृत्यु उपदान की प्रसुविधाओं का लागू किया जाना-चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान कर रहे हैं वे इस समय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र नहीं हैं, जबकि पेंशन सम्बन्धी स्थापनाओं पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ये सुविधाएं अनुज्ञेय हैं । चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की ये प्रसुविधाएं ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर जो अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होते हैं, उसी प्रकार से लागू की जाए जैसे कि रेलवे के कर्मचारियों के मामले में लागू की गई हैं ।

2• इस आशय के आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं कि अंशदायी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे सभी कर्मचारियों को जो 1-1-86 को सेवा में थे, उस तारीख को तथा उस तारीख से पेंशन योजना में आए हुए समझे जाने चाहिए, जब तक कि वे विशेष रूप से अंशदायी भविष्य निधि योजना में बने रहने का विकल्प न दे दें । केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जो 1-1-86 से योजना में बने रहेंगे, उनके लिए राष्ट्रपति ने यह निर्णय किया है कि वे वे उसी दर/अनुपात पर सेवा निवृत्ति उपदान तथा मृत्यु उपदान के हकदार होंगे, जैसे कि यथा-स्थिति पेंशन संबंधी स्थापना के अस्थायी/स्थायीवत् अथवा स्थायी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं ।

3•1 ये आदेश सभी सिविलियन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत) 1962 के अन्तर्गत, अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान कर रहे हैं ।

3•2 अन्य अंशदायी भविष्य निधियों में अभिदान कर रहे कर्मचारियों के मामले में जहां इसी प्रकार के प्रावधान इस समय मौजूद नहीं हैं, वहां संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे । संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सलाह दी जाती है कि वे पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से इन आदेशों को जारी करें ।

4. ये आदेश उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते, जिन्हें पुनर्नियोजन पर अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ये आदेश उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होते जिन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है और जहां अंशदायी भविष्य निधि के अभिदान को संविदा की शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

5. ये आदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा उनके यू0ओ0संख्या 2038/जे0एस0(पर्स)/87 दिनांक 13-4-87 के अधीन दी गई सहमति से जारी किए जाते हैं।

6. जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों पर इन आदेशों के लागू किए जाने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(आई0के0 रस्गोत्रा)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

संख्या 4/1/87-पें0का0एकक-11 नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1987
प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाती है:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय।
3. प्रधान मंत्री का कार्यालय।
4. लोक सभा सचिवालय।
5. राज्य सभा सचिवालय।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. भारत का उच्चतम न्यायालय।
9. निर्वाचन आयोग।
10. योजना आयोग।
11. नियंत्रक तथा भारत का महा लेखा परीक्षक।
12. सभी राज्यों के महालेखाकार।
13. निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय मधु औद्योगिक इस्टेट, पी0बी0मार्ग, बम्बई।
14. निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), कलकत्ता।
15. निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
16. निदेशक, लेखा परीक्षा, (केन्द्रीय) बम्बई।

.....3/-

17. निदेशक, लेखा परीक्षा, वैज्ञानिक तथा वाणिज्यिक विभाग, बम्बई ।
18. निदेशक, लेखा परीक्षा, वाणिज्य निर्माण और विविधि, नई दिल्ली ।
19. भारत के लेखा महा नियंत्रक ।
20. लेखा महा निदेशालय, पी०ए०आई० अनुभाग, पणजी, गोवा ।
21. लेखा नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन, बी-ब्लाक, विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
22. रक्षा लेखा महा नियंत्रक ।
23. रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद ।
24. रक्षा लेखा नियंत्रक (नेवी) बम्बई ।
25. रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना), नई दिल्ली ।
26. रक्षा लेखा उप नियंत्रक (पेंशन वितरण) नई दिल्ली ।
27. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव ।
28. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
29. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
30. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।
31. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का अखिल भारतीय सेवा प्रभाग ।
32. व्यय विभाग, ई.।/ अनुभाग ।
33. जे०सी०ए० अनुभाग (राष्ट्रीय परिषद जे०सी०एम०) के सदस्यों के बीच परिचालन के लिए 10 अतिरिक्त प्रतियां ।
34. अवर सचिव (पेंशन) पेंशन तथा पेंशन कल्याण विभाग (एस०सी०ओ०वी०ए०) के सदस्यों के बीच परिचालन के लिए 30 अतिरिक्त प्र-तियां ।
35. संसद लाइब्रेरी ।
36. राष्ट्रीय लाइब्रेरी ।

(एम० आर० वैद्य)
उप सचिव, भारत सरकार